



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27022026-270537  
CG-DL-E-27022026-270537

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 26, 2026/फाल्गुन 7, 1947

No. 43]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 26, 2026/PHALGUNA 7, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

( वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2026

(मामला सं. सीवीडी 02/2025)

विषय: चीनी जनवादी गणराज्य से 'पीवीसी सस्पेंशन रेजिन्स' के आयातों के संबंध में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क संबंधी जांच की शुरुआत।

- फा.सं. 06/67/2025-डीजीटीआर.— मेसर्स केम्प्लास्ट कडलूर विनाइल्स लिमिटेड, डीसीएम श्रीराम लिमिटेड और डीसीडब्ल्यू लिमिटेड (जिन्हें आगे "आवेदक" कहा गया है) द्वारा समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं की पहचान, उन पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "सीवीडी नियमावली" या "नियमावली" भी कहा गया है) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष आवेदन दायर किया गया है, जिसमें चीन जन गण (जिसे आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पीवीसी सस्पेंशन रेजिन्स" (जिसे

आगे “विचाराधीन उत्पाद” या “संबद्ध वस्तु” या “पीयूसी” कहा गया है) के आयात के संबंध में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जाँच करने का अनुरोध किया गया है।

### क. सब्सिडीकरण का आरोप

2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों/निर्यातकों को संबद्ध देश की सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों, जिसमें विभिन्न प्रांतों और नगर पालिकाओं, जहाँ उत्पादक/निर्यातक स्थित हैं, की सरकारें और अन्य 'सार्वजनिक निकाय' शामिल हैं, पर प्रदान की गई कार्रवाई योग्य सब्सिडी से लाभ हुआ है। आवेदकों ने सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध संगत कानूनों, नियमों और विनियमों तथा संबंधित सरकारी एजेंसियों और सार्वजनिक निकायों की अन्य अधिसूचनाओं और अन्य जाँच प्राधिकारियों के निर्णयों पर भरोसा किया है, जिन्होंने ऐसी योजनाओं की व्यापक जाँच की और प्रतिसंतुलन योग्य सब्सिडी कार्यक्रमों की मौजूदगी संबंधी जाँच परिणाम पर पहुंचे। आवेदकों ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 9(4) में निर्धारित शर्तों के अनुसार आयातों के अनंतिम मूल्यांकन और सब्सिडीरोधी शुल्क को पूर्वव्यापी रूप से लगाने की सिफारिश करें।

### ख. परामर्श

3. सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी करार (एएससीएम) के अनुच्छेद 13 के अनुसार, चीन जन. गण. सरकार के प्रतिनिधियों के साथ 20.01.2026 को जाँच शुरूआत से पहले परामर्श आयोजित किए गए। प्राप्त टिप्पणियों को रिकॉर्ड में ले लिया गया है और जाँच की प्रक्रिया के दौरान उन पर विधिवत रूप से विचार किया जाएगा।

### ग. विचाराधीन उत्पाद

4. विचाराधीन उत्पाद विनाइल क्लोराइड मोनोमर (सस्पेंशन ग्रेड) का होमोपोलिमर है, जिसे 'पीवीसी सस्पेंशन रेजिन' के रूप में भी जाना जाता है, जो 55 से ऊपर और 77 तक के के-वैल्यू के साथ सस्पेंशन पॉलिमराइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्मित होता है।
5. विचाराधीन उत्पाद के दायरे से 55 से कम और 77 से अधिक के-वैल्यू वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन बाहर हैं। इसके अतिरिक्त, विशिष्ट पीवीसी सस्पेंशन रेजिन जैसे क्रॉस-लिंकड पीवीसी, क्लोरिनेटेड पीवीसी (सीपीवीसी), विनाइल क्लोराइड - विनाइल एसीटेट कोपोलिमर (वीसी-वीएसी), पीवीसी पेस्ट रेजिन/इमल्शन रेजिन, मास पॉलिमराइजेशन पीवीसी और पॉलीविनाइल क्लोराइड ब्लेंडिंग रेजिन को भी विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है।
6. विचाराधीन उत्पाद सस्पेंशन पॉलिमराइजेशन प्रक्रिया का उपयोग करके निर्मित किया जाता है। इमल्शन पॉलिमराइजेशन, बल्क मास पॉलिमराइजेशन और माइक्रो सस्पेंशन पॉलिमराइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित पीवीसी को भी विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है।
7. संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए, विनाइल क्लोराइड मोनोमर (वीसीएम) को पॉलिमराइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से विनाइल पॉलिमर में परिवर्तित किया जाता है। वीसीएम या तो एथिलीन डाइक्लोराइड (ईडीसी) का उपयोग करके या कैल्शियम कार्बाइड (कार्बाइड) का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है। दोनों पद्धतियों से उत्पादित पीवीसी विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल है।

8. पीवीसी सस्पेंशन रेजिन का उपयोग आमतौर पर पाइप और फिटिंग, फ्लेक्सिबल होज़, फिल्म/शीट, बोतलें, प्रोफाइल, तार और केबल, फुटवियर आदि जैसे विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण में किया जाता है।
9. संबद्ध वस्तुओं को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची I के अध्याय 39 के तहत सीमा शुल्क वर्गीकरण 3904 10 20 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, विचाराधीन उत्पाद का आयात एचएस कोड 3904 10 10, 3904 10 90, 3904 21 00, 3904 22 00, 3904 90 10 और 3904 90 90 के तहत भी किया जा रहा है। तदनुसार, वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए 4-अंकीय स्तर पर एचएस कोड, अर्थात् 3904 पर विचार किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

#### घ. समान वस्तु

10. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि आवेदक कंपनियों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु समान वस्तुएँ हैं। संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तु और आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित "संबद्ध वस्तुएं" अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं जैसे भौतिक एवं रासायनिक विशेषताएँ, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं, और अतः, नियमावली के अंतर्गत इन्हें 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए। अतः, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, भारत में आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

#### ड. सब्सिडीकरण का आरोप: सब्सिडी कार्यक्रम

11. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य दर्शाते हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों और निर्यातकों को संबद्ध देश की सरकारों और/या उनके संबंधित सार्वजनिक निकायों द्वारा नीचे सूचीबद्ध कई सब्सिडी योजनाओं/कार्यक्रमों से लाभ हुआ है। कथित सब्सिडी में धन का प्रत्यक्ष हस्तांतरण और धन या देनदारियों का संभावित प्रत्यक्ष हस्तांतरण; सरकारी राजस्व जो अन्यथा देय है उसमें छूट दी गई है या उसे वसूल नहीं किया गया है; पर्याप्त मूल्य से कम पर वस्तुओं और सेवाओं का प्रावधान; आदि शामिल हैं।

#### पर्याप्त मूल्य से कम पर वस्तुओं और सेवाओं के रूप में कार्यक्रम

- i. पर्याप्त मूल्य से कम पर पानी का प्रावधान
- ii. पर्याप्त मूल्य से कम पर भूमि
- iii. राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों (एसओई) को पर्याप्त मूल्य से कम पर भूमि तक अधिमानी पहुंच
- iv. पर्याप्त मूल्य से कम पर स्टीम कोल का प्रावधान
- v. अधिमानी दरों पर बिजली का प्रावधान/आपूर्ति
- vi. औद्योगिक क्षेत्रों में अधिमानी दरों पर भूमि उपयोग अधिकार
- vii. अधिमानी दरों पर कास्टिक सोडा का प्रावधान/आपूर्ति
- viii. पर्याप्त मूल्य से कम पर क्लोरीन का प्रावधान

**कर और वैट प्रोत्साहन के रूप में कार्यक्रम**

- ix. अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) व्यय की कटौती हेतु कर नीतियाँ
- x. विदेशी निवेशकों द्वारा विदेशी निवेशित उद्यमों ("एफआईई") के लाभ के पुनर्निवेश पर आयकर वापसी
- xi. एफआईई के लिए पूर्ण आयकर छूट
- xii. उन्नत प्रौद्योगिकी एफआईई के लिए आयकर में कटौती
- xiii. घरेलू उपकरणों की खरीद पर कर क्रेडिट
- xiv. अनुसंधान एवं विकास हेतु अधिमानी कर नीतियाँ
- xv. एफआईई द्वारा घरेलू रूप से उत्पादित उपकरणों की खरीद पर वैट वापसी
- xvi. एफआईई के लिए आयकर में कटौती
- xvii. उच्च-प्रौद्योगिकी उपलब्धि वाणिज्यीकरण परियोजनाओं हेतु शंघाई नगरपालिका कर वापसी
- xviii. एफआईई के लिए स्थानीय आयकर छूट एवं कटौती कार्यक्रम
- xix. गुआंगडोंग एवं हैनान द्वीप के विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थानीय आयकर छूट और/या कमी
- xx. शंघाई के पुडोंग क्षेत्र में स्थापित एफआईई के लिए अधिमानी कर नीतियाँ
- xxi. आयातित उपकरणों पर सीमा शुल्क एवं वैट छूट
- xxii. उच्च एवं नवीन प्रौद्योगिकी कंपनियों के रूप में मान्यता प्राप्त कंपनियों के लिए अधिमानी कर नीतियाँ
- xxiii. पश्चिमी क्षेत्रों के लिए कर रियायतें
- xxiv. कम लाभ पर संचालित कंपनियों के लिए उपलब्ध कर वरीयता
- xxv. तिआनजिन पोर्ट मुक्त व्यापार क्षेत्र में उद्यम आयकर दर में कमी
- xxvi. पर्यावरण संरक्षण हेतु विशेष उपकरणों की खरीद संबंधित कर क्रेडिट
- xxvii. समग्र संसाधन उपयोग (विशेष कच्ची सामग्री) में संलग्न उद्यमों के लिए आयकर रियायतें
- xxviii. विशेष आर्थिक क्षेत्रों एवं अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थापित विदेशी निवेशित उद्यमों एवं विदेशी उद्यमों के लिए आयकर में कमी
- xxix. विदेशी निवेशित निर्यात उद्यमों के लिए अधिमानी कर नीतियाँ
- xxx. स्थिर परिसंपत्तियों का त्वरित मूल्यहास
- xxxii. पूर्वोत्तर क्षेत्र के उद्यमों के लिए अधिमानी आयकर नीति

**अधिमानी ऋण एवं उधार के रूप में कार्यक्रम**

- xxxii. अधिमानी ऋण (नीतिगत ऋण सहित)
- xxxiii. चीन के निर्यात-आयात बैंक से अधिमानी निर्यात वित्तपोषण
- xxxiv. राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों (एसओई) के लिए अधिमानी ऋण
- xxxv. ऋण ब्याज भुगतान हेतु भत्ता
- xxxvi. रसायन उद्योग को नीतिगत ऋण
- xxxvii. वन बेल्ट वन रोड पहल के अंतर्गत बाह्य निवेश करने वाली कंपनियों के लिए अधिमानी वित्तपोषण

**अनुदान के रूप में कार्यक्रम**

- xxxviii. प्रसिद्ध ब्रांड कार्यक्रम/प्रसिद्ध-ब्रांड उत्पादों हेतु प्रोत्साहन निधि
- xxxix. पाटनरोधी जांच हेतु अनुदान
- xl. अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) सहायता अनुदान

- xli. निर्यात सहायता अनुदान
- xlvi. शेयर लिस्टिंग हेतु अनुदान
- xliii. प्रांतीय राजकोषीय एवं तकनीकी नवाचार निधि के माध्यम से प्रदान किए गए अनुदान
- xliv. निर्यात कंपनियों हेतु अंतर्राष्ट्रीय बाजार निधि
- xl. मुख्य उद्योगों एवं नवाचार प्रौद्योगिकियों के संवर्धन हेतु राज्य विशेष निधि
- xlvi. सुपरस्टार उद्यम अनुदान
- xlvii. गुआंगडोंग प्रांत में उद्योगों के बाह्य विस्तार हेतु निधि
- xlviii. अनुदान – विदेशी व्यापार की स्थिर वृद्धि को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष निधि
- xlix. झोंगशान उद्यमों को देशीय एवं विदेशी मेलों में भाग लेने हेतु भत्ता निधि प्रबंधन के अंतरिम उपाय
- I. कोषागार बांड ऋण या अनुदान
- li. फुयांग शहर एवं हांगझोउ शहर को प्रदान किए गए विभिन्न अनुदान
- क. आरएमबी 10 मिलियन से अधिक कर भुगतान करने वाले उद्यमों हेतु अनुदान
- ख. उप-अनुबंध सेवाओं के निर्यात कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान
- ग. उत्कृष्ट नवीन उत्पाद/प्रौद्योगिकी पुरस्कार के अंतर्गत अनुदान
- घ. प्रमुख उद्योगों हेतु फुयांग नगर सरकार से निवेश अनुदान
- ङ. प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान एवं विकास केंद्र संचालित करने वाले उद्यमों हेतु अनुदान
- च. निर्यात ऋण पर स्थानीय एवं प्रांतीय सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति अनुदान
- छ. बीमा शुल्क
- ज. हांगझोउ प्रीफेक्चर एवं फुयांग शहर (झेजियांग प्रांत) एवं (आनहुई प्रांत) से आरंभिक सार्वजनिक आफरिंग (आईपीओ) अनुदान
- liii. हेबेई प्रांत द्वारा प्रदान किए गए अनुदान
- क. हेबेई प्रांत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान
- ख. शीजियाङ्गुआंग शहर सरकार का निर्यात पुरस्कार
- liiii. शानदोंग प्रांत को प्रदान किए गए विभिन्न अनुदान
- क. प्रमुख उद्यम प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना हेतु शानदोंग प्रांत की विशेष निधि
- ख. प्रमुख ऊर्जा-संरक्षण प्रौद्योगिकी के औद्योगिकीकरण हेतु शानदोंग प्रांत की पुरस्कार निधि
- ग. शानदोंग प्रांत की पर्यावरण संरक्षण उद्योग अनुसंधान एवं विकास निधि
- घ. प्रमुख उद्योगों के संवर्धन हेतु शानदोंग प्रांत की निर्माण निधि
- liv. त्तिआनजिन बिनहाई न्यू एरिया एवं त्तिआनजिन आर्थिक एवं प्रौद्योगिकीय विकास क्षेत्र में प्रदान की गई सब्सिडियाँ

#### निर्यात वित्तपोषण एवं निर्यात ऋण के रूप में कार्यक्रम

- lv. निर्यात विक्रेता ऋण
- lvi. निर्यात क्रेता ऋण
- lvii. निर्यात ऋण बीमा सब्सिडी

- lviii. राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों से अन्य निर्यात वित्तपोषण  
lix. जीओसी द्वारा ऋण गारंटी

### इक्विटी निवेश के रूप में कार्यक्रम

- lx. ऋण के बदले इक्विटी स्वैप  
lxi. इक्विटी निवेश  
lxii. लाभांश की वसूली न करना  
lxiii. ऋण माफी  
lxiv. विलय या पुनर्गठन से गुजर रहे एसओई के लिए विलेख कर छूट  
lxv. योग्य निवासी उद्यमों के बीच लाभांश पर छूट
12. यह आरोप लगाया गया है कि उपरोक्त स्कीमें सब्सिडी हैं क्योंकि इनमें संबद्ध देश की सरकार या ऐसे संबद्ध देश की अन्य क्षेत्रीय या स्थानीय सरकारों, जिनमें सार्वजनिक निकाय भी शामिल हैं, से वित्तीय अंशदान शामिल है और ये स्कीमें प्राप्तकर्ता (ओं) को लाभ प्रदान करती हैं। यह भी आरोप लगाया गया है कि ये स्कीमें कतिपय उद्यमों या उद्यमों के समूहों और/या उत्पादों और/या क्षेत्रों तक सीमित हैं और इसलिए विशिष्ट एवं प्रतिसंतुलन योग्य हैं। कुछ मामलों में, यह आरोप लगाया गया है कि ये स्कीमें आयातित वस्तुओं की तुलना में घरेलू वस्तुओं के उपयोग और/या निर्यात निष्पादन पर निर्भर हैं।
13. उत्पादकों/निर्यातकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी अन्य ऐसी सब्सिडी स्कीम के संबंध में जानकारी प्रदान करें जिसका उन्होंने लाभ उठाया हो। निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य ऐसी सब्सिडी की जाँच करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं, जो जाँच की प्रक्रिया के दौरान संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा विद्यमान और उपयोग की गई पाई जा सकती हैं।

### च. घरेलू उद्योग

14. नियम 2 (ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है:-

*“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित सब्सिडीप्राप्त वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, ऐसे मामले में ऐसे उत्पादकों को “घरेलू उद्योग” का हिस्सा नहीं समझा जाएगा।’*

15. यह आवेदन केम्प्लास्ट कडलूर विनाइल्स लिमिटेड, डीसीएम श्रीराम लिमिटेड और डीसीडब्ल्यू लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों ने अनुरोध किया है कि भारत में संबद्ध वस्तुओं के दो अन्य घरेलू उत्पादक हैं, अर्थात् फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने सूचित किया है कि दो नए उत्पादक, अर्थात् मुंद्रा पेट्रोकेम लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत में क्षमताएं स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं। आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड दोनों संबद्ध वस्तुओं के नियमित आयातक हैं और उन्होंने जांच की अवधि के दौरान भारत में संबद्ध वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा का आयात किया है।

16. रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी की जांच करने के बाद, यह पाया गया कि आवेदक भारत में समान उत्पाद के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा रखते हैं। तदनुसार, आवेदक सीवीडी नियम, 1995 के नियम 2(ख) के तहत परिभाषित घरेलू उद्योग का गठन करते हैं और आवेदन सीवीडी नियम, 1995 के नियम 6(3) के अनुसार पात्रता की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

### **छ. क्षति और कारणात्मक संबंध का आरोप**

17. आवेदकों ने संबद्ध देश से सब्सिडी वाले आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। संबद्ध देश से संबद्ध आयातों की मात्रा में समग्र और सापेक्ष दोनों ही रूपों में वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कारण कीमत ह्रास और न्यूनीकरण के कारण घरेलू उद्योग अपनी लागत पूरी तरह वसूल करने और उचित आय प्राप्त करने के लिए अपनी कीमतें बढ़ाने से वंचित रहा है। संबद्ध आयातों का घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मानदंडों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण नकद लाभ, पीबीआईटी और आरओसीई ऋणात्मक हैं। घरेलू उद्योग के मालसूची स्तरों में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार, आवेदक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य प्रथम दृष्टया चीन से कथित सब्सिडी वाले आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दर्शाते हैं।

### **ज. शुल्कों को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करना और अनंतिम मूल्यांकन**

18. आवेदकों ने संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर पूर्वव्यापी रूप से सब्सिडी-रोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है। आवेदकों ने दावा किया है कि निम्नलिखित कारणों से पूर्वव्यापी अधिरोपण आवश्यक है:
1. संबद्ध देश से आयात कम समयवधि में काफी बढ़ गए हैं और जांच की अवधि में अधिकांश आयातों के लिए जिम्मेदार हैं; क्षति की अवधि के दौरान ऐसे आयातों की हिस्सेदारी में काफी वृद्धि हुई है।
  2. घरेलू उद्योग को हुई क्षति की भरपाई करना मुश्किल है क्योंकि घरेलू उद्योग बंद होने के कगार पर है। घरेलू उद्योग को पीओआई में भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ब्याज के बोझ के अनुसार पहले भी घाटे में है। घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर आय ऋणात्मक है।
19. आवेदकों ने अधिनियम की धारा 9(4) और नियमावली के नियम 19 और 22 के अनुसार, जांच शुरू होने की तारीख से आयातों के अनंतिम मूल्यांकन और सब्सिडी-रोधी शुल्क के पूर्वव्यापी अधिरोपण की केंद्र सरकार को सिफारिश करने के लिए प्राधिकारी से अनुरोध किया है। इस संबंध में, हितबद्ध पक्षकार इस अधिसूचना में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।
20. आवेदकों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच करने के बाद, प्राधिकारी चीन से आयातित संबद्ध वस्तुओं पर सब्सिडी-रोधी शुल्क के पूर्वव्यापी अधिरोपण के दावों की जांच करना उचित समझते हैं। उपरोक्त के आलोक में, प्राधिकारी सब्सिडी-रोधी जांच के परिणाम के आने तक, वित्त मंत्रालय को विचाराधीन उत्पाद के सभी आयातों के अनंतिम मूल्यांकन की सिफारिश करते हैं, साथ ही सभी हितबद्ध पक्षकारों को इस अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर अपनी टिप्पणियां देने का अवसर प्रदान करते हैं।

### **झ. जाँच की शुरुआत**

21. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर, और आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों जो सब्सिडी और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की मौजूदगी की पुष्टि करते हैं, के आधार पर, स्वयं को संतुष्ट करने के बाद, प्राधिकारी नियमावली के नियम 6 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 के अनुसार, कथित सब्सिडीकरण की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की ऐसी राशि, जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए सब्सिडीरोधी जाँच की शुरुआत करते हैं।

**ज. शामिल देश**

22. यह आवेदन चीन के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के कथित सब्सिडीकरण के संबंध में दायर किया गया है। अतः, वर्तमान जाँच के लिए संबद्ध देश चीन है।

**ट. जाँच की अवधि (पीओआई)**

23. वर्तमान आवेदन के लिए जाँच की अवधि के रूप में 1 अक्टूबर 2024 - 30 सितंबर 2025 (12 महीने) की अवधि प्रस्तावित की गई है। क्षति संबंधी जानकारी जाँच अवधि और पूर्ववर्ती तीन वर्षों, अर्थात् 2022-23, 2023-24, 2024-25 और पीओआई के लिए प्रदान की गई है।

**ठ. सूचना प्रस्तुत करना**

24. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर स्वयं को पंजीकृत करना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकारों के सभी पत्र और अनुरोध उनके पंजीकृत नाम और संबंधित केस आईडी - सीवीडी/ओआई/1522025/01 के तहत सेतु पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग पीडीएफ/एम एस वर्ड फॉर्मेट में और डेटा फाइलें एम एस एक्सेल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हों।
25. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार और भारत में संबद्ध वस्तुओं से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सभी संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी सभी सूचनाएं इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए।
26. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से वर्तमान जांच से संबंधित अनुरोध इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर कर सकता है।
27. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका एक अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराना आवश्यक है।
28. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (<https://www.dgtr.gov.in/>) को नियमित रूप से देखते रहें ताकि वे जांच से संबंधित सूचना और आगे की प्रक्रिया से अद्यतन और अवगत रहें।

**ड. समय सीमा**

29. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर उनके पंजीकृत नाम और संबंधित केस आईडी- सीवीडी/ओआई/1522025/01 के तहत अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक अनुरोध के दोनों संस्करण, गोपनीय संस्करण (सीवी) और अगोपनीय संस्करण (एनसीवी), उस तारीख से 37 दिनों के भीतर संबंधित निर्दिष्ट कॉलम में अपलोड किए जाने चाहिए, जिस दिन घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन का अगोपनीय संस्करण निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा परिचालित किया जाएगा अथवा सीवीडी नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी पाई जाती है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तथा नियमावली के अनुसार अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

30. सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) से अवगत कराएं तथा इस अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करें।
31. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है, तो उसे सीवीडी नियमावली, 1995 के नियम 7(4) के अनुसार ऐसे विस्तार के लिए पर्याप्त कारण को दर्शाना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर किया जाना चाहिए।

#### **द. गोपनीय आधार पर सूचना को प्रस्तुत करना**

32. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले अथवा गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले किसी भी पक्षकार को सीवीडी नियमावली के नियम 8 तथा इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका एक अगोपनीय पाठ भी साथ में प्रस्तुत करना आवश्यक है।
33. ऐसे अनुरोधों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" रूप में अंकन किया जाना चाहिए। ऐसे अंकन किए बिना किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
34. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त जानकारी शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है, और/या अन्य जानकारी, जिसके बारे में ऐसी जानकारी के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। ऐसी जानकारी के लिए, जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है, या जिस जानकारी की गोपनीयता का दावा अन्य कारणों से किया गया है, वहां सूचना के प्रदाता को प्रदान की गई जानकारी के साथ एक उचित कारण का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी जानकारी का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
35. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय अंश को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई सूचना (जहाँ सूचीबद्ध करना संभव न हो) के गोपनीय अंश की अनुकृति होना अपेक्षित है और ऐसी सूचना को उस सूचना के आधार पर उचित और पर्याप्त रूप से सारांशीकृत किया जाना चाहिए जिसके संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया है।
36. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय-वस्तु को उचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांशीकरण संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के आधार पर सीवीडी नियमावली, 1995 के नियम 8 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण सहित ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
37. हितबद्ध पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
38. गोपनीयता के दावे के संबंध में नियमावली के नियम 8 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसके सार्थक अगोपनीय पाठ अथवा उसके पर्याप्त और समुचित कारण विवरण के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
39. प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना को अनदेखी कर सकते हैं।
40. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने पर और उसे स्वीकार किए जाने के बाद, प्राधिकारी ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं करेंगे।

41. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जिसके साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोध तथा अन्य जानकारी के अगोपनीय अंश को अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल कर दें।

**ण. असहयोग**

42. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर अथवा इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर अथवा बाद में अलग से पत्राचार के माध्यम से प्रदान की गई समयावधि के भीतर आवश्यक सूचना देने से मना करता है और अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

(Directorate General of Trade Remedies)

**INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th February, 2026

**(Case No. CVD 02/2025)**

**Subject: Initiation of countervailing duty investigation concerning imports of “PVC Suspension Resins” from China PR.**

1. **F. No.06/67/2025-DGTR.**—An application has been filed by Chemplast Cuddalore Vinyls Limited, DCM Shriram Limited and DCW Limited (hereinafter referred to as the “Applicants”), before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”) under the provisions of the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “CVD Rules” or the “Rules”) for imposition of countervailing duty investigation concerning imports of “PVC Suspension Resins” (hereinafter referred to as the “product under consideration” or the “subject goods” or the “PUC”) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the “subject country”).

**A. Allegation of subsidization**

2. The Applicants have alleged that the producers/exporters of the subject goods in the subject country have benefitted from the actionable subsidies provided at various levels by the Government of the subject country, including the Governments of different Provinces and Municipalities in which producers/exporters are located, and other ‘Public Bodies. The Applicants have relied upon the relevant Laws, Rules and Regulations and other Notifications of the relevant Government Agencies and Public Bodies available in the public domain and in the determination of other investigating Authorities who conducted comprehensive investigation of such schemes and concluded existence of countervailable subsidy Programmes. The Applicants have requested the authority to recommend provisional assessment of imports and retrospective imposition of Anti-Subsidy duty in the present case as per the conditions laid down in Section 9(4) of the Customs Tariff Act 1975.

**B. Consultation**

3. In terms of Article 13 of the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM) pre-initiation consultations were held on 20.01.2026 with the representatives of the Government of **China PR**. The comments received have been taken on record and the same will be duly taken into consideration during the course of the investigation.

**C. Product under Consideration**

4. The product under consideration is Homopolymer of Vinyl Chloride Monomer (suspension grade) also known as PVC Suspension Resin manufactured through suspension polymerisation process with K-Value above 55 and upto 77.
5. The scope of product under consideration excludes PVC suspension resins with K-Value below 55 and above 77. Further, specialty PVC suspension resin such as cross-linked PVC, chlorinated PVC (CPVC), vinyl chloride – vinyl acetate copolymer (VC-VAc), PVC paste resin / emulsion resins, Mass Polymerisation PVC and Polyvinyl Chloride Blending Resins are also excluded from the scope of product under consideration.
6. The product under consideration is manufactured using suspension polymerisation process. PVC manufactured through emulsion polymerisation, bulk mass polymerization and micro suspension polymerization process are also excluded from the scope of the product under consideration.
7. In order to produce the subject goods, Vinyl Chloride Monomer (“VCM”) is converted into Vinyl Polymer through polymerization process. VCM is either produced using ethylene dichloride (“EDC”) or by using Calcium Carbide (“Carbide”). PVC produced through both routes is included within the scope of the product under consideration.
8. PVC Suspension Resins are commonly used in manufacturing various products like pipes and fittings, flexible hoses, films/sheets, bottles, profiles, wire and cables, footwear, etc.
9. The subject goods are classified under Chapter 39 of Schedule I to the Customs Tariff Act, 1975 under the Customs classification 3904 10 20. However, the product under consideration is also being imported under HS Codes 3904 10 10, 3904 10 90, 3904 21 00, 3904 22 00, 3904 90 10 and 3904 90 90. Accordingly, HS code at 4-digit level, that is, 3904 has been considered for the purpose of the present investigation. The Customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.

**D. Like article**

10. The Applicants have submitted that the subject goods produced by the Applicant companies and the subject goods imported from the subject country are like articles. There is no known difference between the subject goods exported from the subject country and those produced by the Applicants. “subject goods” produced by the domestic industries and imported from the subject country are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable, and hence, should be treated as ‘Like Article’ under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the Applicants in India are being treated as ‘Like Article’ to the subject goods being imported from the subject country.

**E. Allegation of subsidization: Subsidy Programmes**

11. The prima facie evidence provided by the applicants show that the producers and exporters of the subject goods in the subject country have benefitted from a number of subsidy schemes/Programmes, granted by the governments of subject country and/or their respective public bodies as listed below. The alleged subsidies consist of direct transfer of funds and potential direct transfer of funds or liabilities; Government revenue that is otherwise due is fore gone or not collected; provision of goods and services for less than adequate remuneration; etc.

**Programmes in the form of goods and services at Less Than Adequate Remuneration (LTAR)**

- i. Provision of water at LTAR
- ii. Land at LTAR
- iii. Preferential access to land at less than adequate remuneration to state-owned enterprises (SOEs)
- iv. Provision of Steam Coal at LTAR
- v. Provision / supply of electricity at preferential rates.
- vi. Land use rights at discounted rates in industrial zones
- vii. Provision / supply of caustic soda at preferential rates
- viii. Provision of Chlorine for LTAR

**Programmes in the form of Tax and VAT incentives**

- ix. Tax Policies for the deduction of research and development (R&D) expenses
- x. Income Tax Refund for Re-investment of Foreign Invested Enterprises (“FIE”) Profits by Foreign Investors
- xi. Full income tax exemption for FIEs
- xii. Income Tax Reduction for Advanced Technology FIEs
- xiii. Tax credit on the purchase of domestic equipment
- xiv. Preferential tax policies for research and development
- xv. VAT refunds for the purchase of domestically produced equipment by FIE
- xvi. Reduced income tax for FIEs
- xvii. Shanghai Municipal Tax Refund for High-tech Achievement Commercialization Projects
- xviii. Local income tax and reduction program for FIEs
- xix. Local Income Tax Exemption and/or Reduction in SEZs in Guangdong and Hainan Island
- xx. Preferential Tax policies for FIEs Established in Pudong Area of Shanghai
- xxi. Tariff and VAT Exemptions for Imported Equipment
- xxii. Preferential tax policies for companies that are recognized as high and new technology companies
- xxiii. Tax concessions for Western Regions
- xxiv. Tax Preference Available to Companies that Operate at a Small Profit
- xxv. Enterprise Income Tax Rate Reduction in the Tianjin Port Free Trade Zone
- xxvi. Tax credit concerning the purchase of special equipment for environment protection
- xxvii. Income tax concessions for the enterprises engaged in comprehensive resource utilisation (special raw materials)
- xxviii. Income Tax Reduction for Enterprises with Foreign Investment and Foreign Enterprises Economic Zones and other designated zones
- xxix. Preferential Tax Policies for Foreign Invested Export Enterprises
- xxx. Accelerated depreciation of fixed assets
- xxxi. Preferential income tax policy for the enterprises in the Northeast region

**Programmes in the form of preferential loans and lending**

- xxxii. Preferential Lending (Including policy loans)
- xxxiii. Preferential export financing from the Export-Import Bank of China
- xxxiv. Preferential Loans for SOEs
- xxxv. Allowance to Pay Loan Interest
- xxxvi. Policy Loans to the Chemicals Industry
  
- xxxvii. Preferential Financing under One Belt One Road Initiative for Companies making Outward Investments

**Programmes in the form of Grants**

- xxxviii. Famous Brands Program/ Incentive fund for famous-brand products
- xxxix. Grants for Antidumping Investigations
- xl. Research & Development (R&D) Assistance Grant
- xli. Export Assistance Grant
- xlii. Grants for Listing Shares
- xliii. Grants provided through the Provincial Fund for Fiscal and Technological Innovation.
- xliv. International Market Fund for Export Companies
- xlv. State Special Fund for Promoting Key Industries and Innovation Technologies
- xlvi. Superstar Enterprise Grant
- xlvii. Funds for Outward Expansion of industries in Guangdong Province
- xlviii. Grant - Special Funds for Fostering Stable Growth of Foreign Trade
- xlix. Interim Measures of Fund Management of Allowance for Zhongsham Enterprises to Attend Domestic and Overseas Fair
  - l. Treasury Bonds Loans or Grants
  - li. Various grants provided to Fuyang City and Hangzhou City
    - a. Grant for Enterprises Paying Over RMB 10 Million in Taxes
    - b. Grants under the Export of Sub-Contract Services Program
    - c. Grants under Excellent New Products/Technology Award
    - d. Investment grants from Fuyang City Government for key industries
    - e. Grants for Enterprises Operating Technology and Research and Development Centers
    - f. Local and Provincial Government Reimbursement Grants on export Credit
    - g. Insurance Fees
    - h. Initial Public Offering (IPO) Grants from the Hangzhou Prefecture and the City of Fuyang (Zhejiang Province) & (Anhui Province)
  - lii. Grants provided by Hebei Province
    - a. Grants under the Science and Technology program of Hebei Province
    - b. Government of Shijiazhuang City Export Award
  - liii. Various grants provided to Shandong Province
    - a. Shandong Province's Special Fund for the Establishment of Key Enterprise Technology Centers
    - b. Shandong Province's Award Fund for Industrialization of Key Energy-Saving Technology
    - c. Shandong Province's Environmental Protection Industry Research and Development Funds
    - d. Shandong Province's Construction Fund for Promotion of Key Industries
- liv. Subsidies Provided in Tianjin Binhai New Area and the Tianjin Economic and Technological Development Area

**Programmes in the Form of Export Financing and Export Credit**

- lv. Export Seller's Credit
- lvi. Export Buyer's Credit
- lvii. Export Credit Insurance Subsidies
- lviii. Other export financing from State Owned Banks
- lix. Credit Guarantee by GOC

**Programmes in the form of equity infusion**

- lx. Debt for equity swaps
- lxi. Equity infusions
- lxii. Non-Collection of dividends
- lxiii. Debt Forgiveness
- lxiv. Deed Tax Exemption for SOEs Undergoing Mergers or Restructuring
- lxv. Dividend exemption between qualified resident enterprises

12. It has been alleged that the above schemes are subsidies since they involve a financial contribution from the Government of the subject country or other regional or local governments of such subject country, including public bodies and confer benefit on the recipient (s). They are also alleged to be limited to certain enterprises or groups of enterprises and/or products and/or regions and therefore specific and countervailable. They are also in some cases alleged to be contingent upon the use of domestic over imported goods and/or contingent upon export performance.
13. The producers/exporters are advised to provide information with respect to any other subsidy scheme that may have been availed by them. The Designated Authority reserves the right to investigate other subsidies, which may be found to exist and availed by the producers and exporters of the subject goods, during the course of investigation.

**F. Domestic Industry**

14. Rule 2(b) defines domestic industry as follows:

*“domestic industry’ means the domestic producers as a whole of the like article or domestic producers whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article, except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged subsidised article, or are themselves importers thereof, in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic industry”*

15. The application has been filed by Chemplast Cuddalore Vinyls Limited, DCM Shriram Limited and DCW Limited. The applicants have submitted that there are two more domestic producers of the subject goods in India, namely, Finolex Industries Limited and Reliance Industries Limited. Further, the domestic industry has submitted that two new producers, namely, Mundra Petrochem Limited and Indian Oil Corporation Limited, are in the process of setting up capacities in India. The applicants have also claimed that both Finolex Industries Limited and Reliance Industries Limited are regular importers of the subject goods and have imported substantial volumes of subject goods during the period of investigation into India.
16. After examining the information available on record, it is noted that the applicants account for a major share of the total domestic production of the like product in India. Accordingly, the applicants constitute domestic industry as defined under Rule 2(b) of the CVD Rules, 1995 and the application satisfies the requirements of standing in terms of Rule 6(3) of the CVD Rules, 1995.

**G. Allegation of Injury and Casual Link**

17. The applicants have provided prima facie evidence with respect to the injury suffered by the domestic industry because of the subsidized imports from the subject country. The volume of the subject imports from the subject country has increased in both absolute as well as in relative terms. The price suppression and depression caused by the dumped imports have been preventing the domestic industry from increasing its prices to recover the full cost and achieve a reasonable rate of returns. The subject imports have an adverse impact on the profitability parameters of the domestic industry due to which the cash profits, PBIT and ROCE are negative. There has also been an increase in the inventory levels of the domestic industry. Thus, the evidence provided by the applicants prima facie shows injury to the domestic industry caused by the alleged subsidized imports from China.

**H. Retrospective Imposition of Duties and Provisional Assessment**

18. The applicants have requested for retrospective imposition of the anti-subsidy duty on imports of product under consideration from the subject country. The applicants have claimed that retrospective imposition is necessary due to the following:
- a. The imports from the subject country have increased significantly in a short period of time and account for the majority of imports in the period of investigation. The share of such imports has increased substantially over the injury period.
  - b. The injury caused to the domestic industry is difficult to repair as the domestic industry is on the verge of shutdown. The domestic industry has incurred substantial losses in the POI. Further, the domestic industry is in losses even before accounting for interest. The return on capital employed of the domestic industry is negative.
19. The applicants have requested the Authority to recommend to the Central Government the provisional assessment of imports and the retrospective imposition of anti-subsidy duty from the date of initiation of the investigation, in accordance with Section 9(4) of the Act and Rules 19 and 22 of the Rules. In this regard, the interested parties may offer their comments within the time limits specified in this notification.
20. After examining the submissions made by the applicants, the Authority deems it appropriate to examine the claims for retrospective imposition of anti-subsidy duty on the subject goods imported from China. In view of the above, the Authority recommends to the Ministry of Finance the provisional assessment of all imports of the product under consideration, pending the outcome of the anti-subsidy investigation, while providing an opportunity to all interested parties to offer their comments within the timelines mentioned in this notification.

**I. Initiation of the Investigation**

21. On the basis of the duly substantiated application by the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the applicants substantiating the existence of subsidization and consequent injury to the domestic industry, the Authority hereby initiates an anti-subsidy investigation in accordance with Section 9 of the Act read with Rule 6 of the Rules, to determine the existence, degree, and effect of the alleged subsidization and to recommend the amount of countervailing duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

**J. Country involved**

22. The application has been filed in respect of alleged subsidization of the product under consideration originating in or exported from China. Therefore, the subject country for the present investigation is China.

**K. Period of Investigation (POI)**

23. The period of investigation for the present application is proposed from 1st October 2024 – 30th September 2025 (12 months) as the period of investigation. The injury information has been provided for the period of investigation and three preceding years, that is 2022-23, 2023-24, 2024-25 and the POI.

**L. Submission of Information**

24. All the interested parties are required to register themselves on SETU Portal (<https://setu.dgtr.gov.in>). All communications and submissions from the interested parties shall be uploaded on the SETU portal under their registered name and corresponding Case ID-CVD/OI/1522025/01. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
25. The known producers/exporters in the subject country, the Government of the subject country through its Embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
26. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.
27. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
28. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (<https://www.dgtr.gov.in/>) to stay updated and apprised with the information as well as further processes related to the investigation.

**M. Time Limit**

29. Any information relating to the present investigation should be uploaded on the SETU portal (<https://setu.dgtr.gov.in>) under their registered name and corresponding Case ID-CVD/OI/1522025/01. Both versions of each submission, the confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV) must be uploaded in the respective designated columns within 37 days from the date on which the non-confidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 7(4) of the CVD Rules. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the Rules.
30. All the interested parties are here by advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.
31. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 7(4) of the CVD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

**N. Submission of Information on Confidential Basis**

32. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-

confidential version of such information in terms of Rule 8 of the CVD Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.

33. Such submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as “non- confidential” information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
34. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
35. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
36. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 8 of the CVD Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
37. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents filed before the Authority.
38. Any submission made without a meaningful non-confidential version there of or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 8 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
39. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
40. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.
41. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR’s website along with the request there in to all of them to email the non-confidential version of their submissions and other information to all other interested parties.

#### **O. Non-Cooperation**

42. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification or subsequently time period provided through separate communication, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

AMITABH KUMAR, Designated Authority